



दिनांक 21.02.2024

प्रेस विज्ञप्ति 23/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद बुलन्दशहर/थाना छतारी

- 25 हजार व 10 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 05 अभियुक्त गिरफ्तार
 - चोरी की 08 कार
 - 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद

दिनांक: 21.02.2024 को थाना छतारी व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गंगावास की पुलिया के पास से 05 अभियुक्तों 1-परवेश उर्फ प्रवेश उर्फ सेठी उर्फ लाला उर्फ संतोष 2-संजीव कुमार उर्फ संजय 3-शेरू उर्फ लविश 4-विवेक 5-आदेश कुमार उर्फ चन्दन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 08 कार, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त 1-परवेश उर्फ प्रवेश उर्फ सेठी उर्फ लाला उर्फ संतोष 2-शेरू उर्फ लविश थाना छतारी पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से क्रमशः 25 हजार व 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त परवेश उर्फ प्रवेश उर्फ सेठी उर्फ लाला उर्फ संतोष के विरुद्ध जनपद बदायूं, अलीगढ़, बुलन्दशहर, शाहजहाँपुर, कमिश्नरेट गाजियाबाद, दिल्ली प्रान्त के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या प्रयास, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट आदि के 19 अभियोग, अभियुक्त शेरू उर्फ लविश के विरुद्ध जनपद बुलन्दशहर, कासगंज, अलीगढ़, दिल्ली प्रान्त के विभिन्न थानों पर चोरी, धोखाधड़ी, हत्या का प्रयास, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 01 दर्जन अभियोग, अभियुक्त विवेक के विरुद्ध कमिश्नरेट लखनऊ, जनपद फिरोजाबाद, शाहजहाँपुर, बुलन्दशहर, दिल्ली प्रान्त के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास आदि के 07 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना छतारी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—परवेश उर्फ प्रवेश, उर्फ सेठी उर्फ लाला उर्फ संतोष निवासी सिरासौल थाना बिल्सी जनपद बदायूं।
- 2—संजीव कुमार उर्फ संजय निवासी ग्राम लौंगा सराय थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर।
- 3—शेरू उर्फ लविश निवासी गीता विहार थाना महुआखेडा जनपद अलीगढ़।
- 4—विवेक निवासी मोहल्ला बाढूजी पेशावरी थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर।
- 5—आदेश कुमार उर्फ चन्दन निवासी -38 कनेंग थाना रामचन्द्र मिशन जनपद शाहजहाँपुर।

बरामदगी

- 1—चोरी की 08 कार।
- 2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना मडियांव

- 05 अभियुक्त गिरफ्तार
- चोरी की घटनाओं का अनावरण
 - चोरी के 168 डिब्बा तार, 01 गीजर, 01 इनवर्टर, 05 डिब्बा स्विच, 01 यूपीएस, 01 बैटरी
 - चोरी के 92 डिब्बा मोबिल आयल, 25 चैन स्पाकिट, 06 साकर, 15 पीस क्लच, 19 क्लच प्लेट
 - 01 लैपटाप
 - 01 गैस कटर, गैस सिलेण्डर आदि बरामद

दिनांक: 20.02.2024 को थाना मडियांव व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर टैम्पो स्टैण्ड के पास से 05 अभियुक्तों 1—सुशील कुमार उर्फ

अनिल उर्फ बरुवा 2—सैफ अली 3—सचिन 4—मनीष कुमार 5—मो0 साजिद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 168 डिब्बा तार, 01 गीजर, 01 इनवर्टर, 05 डिब्बा स्विच, 01 यूपीएस, 01 बैटरी, चोरी के 92 डिब्बा मोबिल आयल, 25 चैन स्पाकिट, 06 साकर, 15 पीस क्लच, 19 क्लच प्लेट, 01 लैपटाप, 01 गैस कटर, गैस सिलेण्डर आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना मडियांव क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध थाना मडियांव पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद तार, मोबिल आयल आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना मडियांव पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—सुशील कुमार उर्फ अनिल उर्फ बरुवा निवासी नरोसा थाना महिगवां, लखनऊ
हालपता रूद्रनगर अस्ती रोड थाना बी0के0टी0 लखनऊ।
- 2—सैफ अली निवासी आजादनगर थाना माल, लखनऊ।
- 3—सचिन निवासी मोतीपुर थाना महमूदाबाद जनपद सीतापुर।
- 4—मनीष कुमार निवासी ठाकुरपुर थाना महमूदाबाद जनपद सीतापुर।
- 5—मो0 साजिद निवासी श्रीनगर कालोनी थाना मडियांव, लखनऊ।

बरामदगी

- 1—चोरी के 168 डिब्बा तार, 01 गीजर, 01 इनवर्टर, 05 डिब्बा स्विच, 01 यूपीएस, 01 बैटरी।
- 2—चोरी के 92 डिब्बा मोबिल आयल, 25 चैन स्पाकिट, 06 साकर, 15 पीस क्लच, 19 क्लच प्लेट।
- 3—01 लैपटाप, 01 गैस कटर, गैस सिलेण्डर आदि।

जनपद बुलन्दशहर/थाना कोतवाली नगर

- 07 अभियुक्त गिरफ्तार
- चोरी के 20 हजार रूपये नगद
- चोरी के सोने के आभूषण
- घटना में प्रयुक्त 01 टैम्पू आदि बरामद

दिनांक 21.02.2024 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर डीएवी फ्लार्डओवर के पास से 07 अभियुक्तों 1—राजेन्द्र 2—अमित 3—गौरव 4—वंश उर्फ टेढा 5—तीन अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 20 हजार रूपये नगद, चोरी के सोने के आभूषण, घटना में प्रयुक्त 01 टैम्पू आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त राजेन्द्र के विरुद्ध जनपद बुलन्दशहर, हापुड़, कमिश्नरेट गाजियाबाद के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग एवं अन्य के विरुद्ध चोरी, धोखाधड़ी आदि के अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण, रूपया चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—राजेन्द्र निवासी गेसूपुर थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।

2—अमित निवासी जलालपुर थाना खरखौदा जनपद मेरठ, हालपता गेसूपुर थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।

3—गौरव निवासी गेसूपुर थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।

4—वंश उर्फ टेढा निवासी गेसूपुर थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।

5—तीन अभियुक्ता।

बरामदगी

- 1-चोरी के 20 हजार रूपये नगद।
- 2-चोरी के सोने के आभूषण।
- 3-घटना में प्रयुक्त 01 टैम्पू आदि।

➤ जनपद अलीगढ़/थाना अकराबाद (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 20-20 हजार रूपये अर्थदण्ड)

जनपद अलीगढ़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अलीगढ़ द्वारा थाना अकराबाद पर पंजीकृत अभियोग में धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1-सीटू 2-जीतू उर्फ जितेन्द्र कुमार को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास व 20-20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➤ जनपद बलिया/थाना बासडीह रोड (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)

जनपद बलिया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बलिया द्वारा थाना बासडीह रोड पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त सोनू को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➤ जनपद कौशाम्बी/थाना पिपरी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)

जनपद कौशाम्बी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कौशाम्बी द्वारा थाना पिपरी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376(2)(1) भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त अमित को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

एसटीएफ: जनपद प्रतापगढ़ से रुपये 25,000/- का पुरस्कार घोषित अभियुक्त आनन्द कुमार मिश्र सुलतानपुर से गिरफ्तार।

दिनांक: 20-02-2024 को एसटीएफ, उप्र को थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़ पर पंजीकृत मुअसं-291/2023 धारा 304 भादवि में वांछित व रू 25,000/- का पुरस्कार घोषित अभियुक्त आनन्द मिश्रा को जनपद सुलतानपुर से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1- आनन्द कुमार मिश्र पुत्र तीर्थराज मिश्र उर्फ बनारसी मिश्र, नि 0 ग्राम सौराई, थाना-आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी:-

- 1- 01 अदद आधार कार्ड।
- 2- रुपये 200/- नगद।

गिरफ्तारी का दिनांक समय व स्थान:-

दिनांक 20-02-2024 को समय लगभग 19.30 बजे, ग्राम नरहरपुर, रेलवे अण्डर बाईपास के पास, थाना लम्भुआ, सुलतानपुर।

विगत काफी दिनों से उत्तर प्रदेश के जनपदों में वांछित पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिये जाने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एसटीएफ की विभिन्न टीमों/इकाईयों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में श्री संजीव कुमार दीक्षित, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ, उप्र लखनऊ के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांक 20-02-2024 को उपनिरीक्षक आशुतोष कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में उनि प्रताप नारायण सिंह, मुआ विनोद कुमार सिंह, दिलीप कुमार, शिवभोला शुक्ला की एक टीम अभिसूचना संकलन के क्रम में जनपद सुलतानपुर में मौजूद थी। इस दौरान ज्ञात हुआ कि थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़ पर पंजीकृत मुअसं-291/2023 धारा 304 भादवि में वांछित व रू 25,000/- का पुरस्कार

घोषित अभियुक्त आनन्द मिश्रा लम्भुआ बाजार में जाने वाला है, इस सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा नरहरपुर, रेलवे अण्डर बाईपास के पास, थाना लम्भुआ, सुलतानपुर के पास से उपरोक्त अभियुक्त आनन्द मिश्रा को आवश्यक बल प्रयोग कर गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि अजय गौतम के साथ कुछ लोगों ने मारपीट किया था, जिसके सम्बन्ध में थाना आसपुर देवसरा में मु0अ0सं0 288/2023 बनाम रिषभ कुमार पंजीकृत हुआ था। उक्त अभियोग में विवेचना के दौरान आनन्द मिश्रा उपरोक्त का नाम प्रकाश में आया। जिससे आनन्द मिश्रा को इस बात का शक हुआ कि धर्मेन्द्र कुमार शुक्ला ने ही आनन्द का नाम बताया है। इस बात को लेकर आनन्द मिश्रा उपरोक्त ने अपने तीन साथियों के साथ मिलकर धर्मेन्द्र शुक्ला के साथ मारपीट किया। जिस सम्बन्ध में मु0अ0सं0 291/2023 धारा 323, 308 भादवि का अभियोग पंजीकृत हुआ था। इस घटना में धर्मेन्द्र गम्भीर रूप से घायल हो गया और उसका इलाज चलता रहा। इलाज के दौरान धर्मेन्द्र शुक्ल की मृत्यु हो गयी। इस घटना में 04 अभियुक्त वांछित थे जिसमें से 02 अभियुक्त पूर्व से जेल जा चुके हैं तथा आनन्द मिश्रा के गिरफ्तारी हेतु रू0 25 हजार का पुरस्कार घोषित था।

गिरफ्तार अभियुक्त को मु0अ0सं0 291/23 धारा 304 भादवि थाना आसपुर देवसरा, प्रतापगढ़ में दाखिल किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।
